न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास डॉ0 वीना प्रधान, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील विस्फो0 अनु0 03/2013/नागौर (2017/00111)

सुशीला धर्मपत्नी श्री रामनिवास विश्नोई जाति विश्नोई निवासी इन्दिरा कॉलोनी, नागौर तहसील व जिला नागौर।

अपीलार्थीया

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर।

प्रत्यर्थी

अपील विस्फोटक नियम 2008 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर कमांक प.21(02)न्याय/विस्फो/प्र.एल.ई–5/2010/6561 दिनांक 29–10–2013 जिसके द्वारा श्रीमति सुशीला के स्थायी विस्फोटक अनुज्ञा पत्र के आगामी नवीनीकरण को निरस्त किया गया।

———

उपस्थितः 1– श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलार्थीया
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक :- 26-10-2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीया के नाम से एक अनुज्ञप्ति संख्या प.21(02) न्याय/विस्फो.एल.ई–5/2010 (स्थायी) दिनांक 25–10–2010 को जारी हो रखी है। उक्त अनुज्ञप्ति पूर्व में वर्ष 1999 से अपीलार्थीया के नाम से अस्थाई रूप से नियमानुसार निरन्तर चालू रही है जो वर्ष 2010 से स्थायी रूप से जारी हो रखी है। उक्त अनुज्ञप्ति को नवीनीकरण करवाने संबंधी प्रावधान होने के कारण से अपीलार्थीया ने उक्त अनुज्ञप्ति को वर्ष 2013–14

Scanned with CamScanner

के लिए नवीनीकरण हेतु विधिवत रूप से आवेदन पत्र जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात निर्धारित शुल्क भी चालान द्वारा जमा करवा दिया गया था। उक्त आवेदन पत्र के संबंध में पुलिस विभाग, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी की रिपोर्ट जिला कलक्टर कार्यालय को प्राप्त हुई जिसमें संबंधित अधिकारियों के द्वारा नवीनीकरण किये जाने की अनुशंषा की गई किन्तु उपजिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त आधार के उक्त अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा कर दी और इस रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपीलार्थीया की उक्त आज्ञप्ति को आदेश दिनांक 29–10–2013 से निरस्त कर दिया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के उक्त आदेश दिनांक 29–10–2013 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थीया द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थीया की विस्फोटक क्रय विक्रय की अनुज्ञापति को नवीनीकरण किये जाने की रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व उपजिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा बिना मौका देखे किस आधार पर उक्त अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा कर दी जबकि राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा मौके पर जाकर 24 बिन्दुओं की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, जिसको नहीं मानकर अनुज्ञप्ति नवीनीकरण नहीं करने की अभिशंषा कार्यालय में बैठे–बैठे गलत रूप से कर दी। अतः उक्त रिपोर्ट का पुनः निरीक्षण कर अनुज्ञपति जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उन्होंने यह भी कथन किया कि उक्त प्रकरण में मौके पर गये सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपीलार्थीया के नाम जारी अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण किये जाने की अभिशंषा की थी। इस अभिशंषा को नहीं मानने का कोई औचित्य नहीं था। प्रकरण में तहसीलदार नागौर द्वारा जो अभिशंषा की गई थी उस अभिशंषा पर स्वयं उपजिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपनी नोटशीट में तहसीलदार नागौर की रिपोर्ट को यथा प्रस्तावित माना था। ऐसी स्थिति में उक्त अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किया जाना उचित मानते हुए नवीनीकरण करने की अनुशंषा की थी और इस अभिशंषा को उपजिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने यथा प्रस्तावित मान लिया था तो इस पर विरोधी दूसरी अभिशंषा दिया जाना इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि उपजिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने दुर्भावना पूर्वक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर क्षैत्राधिकार का दुरूपयोग कर अनुज्ञपित के नवीनीकरण नहीं करने बाबत अनुशंषा कर दी। जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

Scanned with CamScanner

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण हेतु दिनांक 8–3–2013 को चालान द्वारा राशि जमा करवा दी गई थी। उक्त राशि जमा होने के पश्चात इतने लम्बे समय तक अनुज्ञप्ति पर नवीनीकरण की कार्यवाही नहीं करना भी इस बात को इंगित करता है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर जानबूझकर दीपावली एकदम नजदीक आने के पांच दिन पूर्व उक्त आदेश दिनांक 29–10–2013 पारित कर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलार्थीया की अपील स्वीकार कर जिला कलकटर एव जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा पारित आदेश कमांक कमांक प.21(02)न्याय/विस्फो/प्र. एल.ई–5/2010/6561 दिनांक 29–10–2013 निरस्त कर अपीलार्थीया के नाम जारी अनुज्ञप्ति को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण कराये जाने के आदेश प्रदान कराने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीया के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान प्रत्यर्थी/राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के तहत ही दीपावली पर्व पर पटाखा व्यवसायियों को पटाखे का कय–विकय करने हेतु संबंधित पुलिस थाना, तहसीलदार एवं पटवारी हलका एवं शहरी क्षैत्र में नगर पालिका/नगर परिषद की रिपोर्टो के आधार पर स्थाई एवं अस्थाई विस्फोटक लाईसेंस जारी किया जाता है। अपीलार्थीया के उक्त प्रकरण में तहसीलदार, पटवारी, पुलिस थाना की रिपोर्ट में अपीलार्थीया की दुकान के नजदीक गैस भट्टी ज्वलंतशील पदार्थ की दुकान होने के कारण अनहोनी को दृष्टिगत रखते हुए उपजिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपीलार्थीया के नाम जारी अनुज्ञप्ति को आगामी वर्ष हेतु नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की है। उक्त रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए एवं अनहोनी की संभावना को मध्यनजर रखते हुए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा अपने आदेश कमांक प.21(02)न्याय/विस्फो/प्र.एल.ई–5/2010/6561 दिनांक 29–10–2013 द्वारा अपीलार्थीया के विस्फोटक अनुज्ञापत्र को आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण करने हेतु प्रस्तुत अपीलार्थीया का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि अपीलार्थीया ने वर्ष 2013–14 के लिए अनुज्ञप्ति हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर उपजिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने तहसीलदार, नागौर, थानाधिकारी नागौर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार नागौर ने अपनी संयुक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 15–10–2013 में अपीलार्थीया की दुकान के पडौस मे जगदीश पुत्र मांगीलाल की गैस भट्टी की दुकान स्थित होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उपजिला मजिस्ट्रेट, नागौर ने अपने पत्र कमांक 3664 दिनांक 25–10–2013

Scanned with CamScanner

के द्वारा अपीलार्थीया के नाम जारी अनुज्ञप्ति पत्र को वर्ष 2013–14 का नवीनीकरण का प्रार्थना पत्र नवीनीकरण नहीं किये जाने की अभिशंषा की है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि राज0 सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों के तहत ही दीपावली पर्व पर पटाखा व्यवसायियों को पटाखे का क्रय–विक्रय करने हेतु संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के प्श्चात ही स्थाई/अस्थाई अनुज्ञा पत्र जारी किये जाते है। विस्फोटक अधिनियम एवं परिपत्रों में प्राप्त निर्देशों के अनुरूप विस्फोटक सामग्री की दुकानों के पास ज्वलनशील पदार्थो जैसे गैस भट्टी, हलवाई की दुकान आदि नहीं होने चाहिए जहां हर समय चिंगारी/आग लगने की संभवना रहती हो। उक्त तथ्यों के आधार पर अनहोनी की संभावना को मध्यनजर रखते हुए उपजिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा नवीनीकरण नहीं किये जाने की अभिशंषा की गई थी जो उचित है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर द्वारा अपीलार्थीया को जारी अनुज्ञप्ति को आगामी अवधि 2013–2014 हेतु नवीनीकरण किये जाने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट) नागौर का आदेश क्रमांक प.21(02)न्याय/विस्फो/प्र.एल.ई–5/2010/6561 दिनांक 29–10–2013 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 वीना प्रधान)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर

Scanned with CamScanner